न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी : राजेश जोशी, आर.ए.एस.
वाद सख्या : 192/2011

1. रामप्रसाद आयु करीब 40 वर्ष आत्मज स्व0 भुवाना पुत्र स्व. किशना जाति बलाई निवासी ग्राम गुढ़ा नाथावतान तहसील व जिला बून्दी (राज0)

—— वादी ——

—— बनाम ——

1. बिशना आयु करीब 60 वर्ष आ. स्व. किशना जाति बलाई निवासी ग्राम तुलसी तहसील व जिला बून्दी (राज0)
2. मोती आयु करीब 50 वर्ष आ. स्व. किशना जाति बलाई निवासी ग्राम गोविन्दपुर बावडी रीको फैक्ट्री के सामने तहसील व जिला बून्दी (राज0)
3. उप पंजीयक महोदय, कार्यालय उप पंजीयक तालेडा जिला बून्दी (राज.)
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार महोदय, बून्दी (राज0)

—— प्रतिवादीगण ——

वाद बाबत– अधिकार घोषणा, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा, इन्द्राज दुरस्ती

उपस्थित :

(1) श्री धीरेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता वादी।
(2) प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
(3) पेरोकार सरकार राज्य की ओर से

दिनांक :– 08.03.2018

–: निर्णय :–

1. वादी की ओर से यह वाद पत्र अधिकार घोषणा, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरस्ती का दिनांक 22.07.2011 को प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया था।

2. वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम जाखमुण्ड पटवार क्षैत्र जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी में कृषि भूमि ख.सं. 332 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा विस्थित है। जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 में खातेदार प्रतिवादी कम 1 व 2 हिस्सा बराबर दर्ज है। उक्त कृषि भूमि वादी के दादा व प्रतिवादी कम 1 व 2 के पिता स्व. किशना आ. रोडू कौम बलाई के खाते कब्जे तथा अधिकार में चली आ रही थी। जमाबन्दी सम्वत् 2028–47 प्रस्तुत है। उक्त प्रकार से उक्त कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है। स्व. श्री किशना के विधिक वारिसान उनके तीन पुत्र बिशना, मोती एवं भुवाना थे। वादी स्व. भुवाना का प्राकृतिक पुत्र एवं वारिस है। वादी के पिता स्व. भुवाना व स्व. श्री किशना का देहांत एक समय में ही हुआ था। उस समय वादी अव्यस्क था। वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा निहित है तथा 1/3 हिस्से की घोषणा व बंटवारा करवाने का अधिकारी है।

3. वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने न्यायालय में मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा जवाब पेश कर वर्णित किया कि वादी ने 13 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र बाबूलाल को दिनांक 09.05.1991 को 5/–रू0 के स्टाम्प पर विकय की थी। वाद वर्णित भूमि पर वादी को कोई हक व अधिकार नही है ओर अन्त में वादपत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। दिनांक 21.01.16 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Scanned by CamScanner

वादी की ओर से रामप्रसाद पी.डब्लू–1 का साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया। साक्ष्य में निम्न वेज प्रदर्शित करवाये जिनमें प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 की जमाबन्दी, प्रदर्श–2 रा गिरदावरी सम्वत 2064–2067, प्रदर्श–3 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सेटलमेन्ट 28–47 है।

5. हमने वादी की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर प्रतिवादी सं. 2 के इकबालिया जवाब के आधार पर वादी को कृषि भूमि खसरा सं. 332 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम जाखमुण्ड तहसील तालेडा वादी की पैतृक सम्पति है इस सबंध में वादी ने न्यायालय के समक्ष स्वयं का शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी सम्वत 2028–47 को प्रदर्श 4 के रूप में प्रर्दशित करवाया। वादी प्रतिवादी सं. 1 व 2 के भाई का पुत्र है तथा 1/3 हिस्से का अधिकारी है उक्त तथ्य प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा अपने जवाब दावे में वर्णित किये गये है। वादी के वाद पत्र में वर्णित तथ्यो का प्रतिवादीगण के द्वारा बतौर दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य के आधार पर खण्डन नही किया गया है ऐसी स्थिति में वादी को वाद वर्णित कृषि भूमि के 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का अधिकारी तत्पश्चात हिस्से अनुसार बंटवारा करवाने का अधिकारी पाया जाता है।

——:: आदेश ::——

परिणामस्वरूप वादी का यह वाद स्वीकार किया जाकर वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा सं. 332 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी पर वादी के पक्ष में 1/3 हिस्से के हक व अधिकारो की घोषणा की जाती है साथ ही वादीगण के वाद बाबत हिस्सा बटवारा के सम्बन्ध में निम्न प्रकार की प्राथमिक (प्रारम्भिक) डिक्री पारित की जाती है कि तहसीलदार तालेडा माप व सीमांकन के आधार पर बंटवारा रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। वाद व्यय पक्षकार अपना–अपना वहन करेगे। उक्तानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी)
उपखण्ड अधिकारी तालेडा
जिला बून्दी (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज0)

Scanned by CamScanner